Uttar Pradesh Shasan.

KaravamNibandhan Anubhag-5,

The Governor is pleased to order the publication of the fallowing English translation of notification no.12/2015/741/gyarah-5-15-312(59)/2013 dated12June, 2015

NOTIFICATION

No.12/2015/741/gyarah-5-2015-312(59)/2013

Lucknow : Dated: 12 June, 2015

In exercise of the powers under section 5 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notification issued in this behalf the Governor is pleased to alter with effect from the date of publication of this notification in the Gazette-

The Governor is further pleased to alter the limits of:-

(a) registration sub-district Budhana of district Muzaffernagar by excluding the areas of revenue villages given in the Schedule below,

(b) registration sub-district Samli of district Samli by including the areas of revenue villages given in the Schedule below,

SCHEDULE

List of villages excluded from registration sub-district Budhana of district Muzaffarnagarand included in registration sub-district Samli of district Samli :-

Sl.No.	VILLAGES
1	Bhaneda
2	Kaniyan
3	TagarpurBhabhisa
4	Nala
5	Dagarol
6	Sunna
7	Hurmajpur
8	KhwaspururphMakhmoolpur
9	Bharsi
10	Salfa

THE Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

(Anil Kumar)
PramukhSachiv.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन,अनुभाग-5
संख्या-12/2015/741/ग्यारह-5-2015-312(59)/13
लखनऊ दिनांक: 12जून, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या-10,सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16,सन् 1908) की धारा-5के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निम्नलिखित की सीमाओं को-

(क) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित कर जिला-मुजफफरनगर के रजिस्ट्रेशन उप जिला-बुढ़ाना की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं,

(ख) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को सम्मिलित कर जिला-शामली केरजिस्ट्रेशन उप जिला-शामली की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

अनुसूची

राजस्व ग्रामों की सूची जिन्हें रजिस्ट्रेशन उप जिला-बुढ़ाना,जनपद-मुजफफरनगर से अपवर्जित किया गया और रजिस्ट्रेशन उप जिला-शामली,जनपद-शामली में सम्मिलित किया गया:-

क्र0 सं0	ग्राम
1	भनेड़ा
2	कनियान
3	ताहरपुर भभीसा
4	नाला
5	डागरोल
6	सुन्ना
7	हुरमजपुर
8	ख्वासपुर उर्फ मखमूलपुर
9	भारसी
10	सल्फा

राज्यपाल अग्रतर निदेश देतें हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में,जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है,पहले से प्रारम्भ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in